न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. रेखा, रमण पुत्रियां दीनदयाल नाबा0 संरक्षिका माता ललिता देवी व ललिता देवी पत्नि स्व0 दीनदयाल हि0ब0 कौम ब्राह्मण निवासी निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 14(4)

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री चन्द्रभान सिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 01.05.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा के ख.न. 48 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा मुताबिक रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज थी। उक्त 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 6.6.1989 को रेखा, रमण पुत्रियां दीनदयाल नाबा0 संरक्षिका माता ललिता देवी व ललिता देवी पत्नि स्व0 दीनदयाल हि0ब0 कौम ब्राह्मण निवासी पालडी तहसील लालसोट हाल रामगढ पचवारा जिला दौसा को आवंटन किया गया था। जिसका उपखण्ड अधिकारी लालसोट के आदेश क्रमांक SP-13 दिनांक 7.5.2013 के द्वारा गैर खातेदारी का नामान्तरकरण आदेश होने पर नामान्तरकरण सं. 203 दिनांक 7.5.2013 को दर्ज कर दिनांक 9.5.2013 को तस्दीक हुआ। जिसका जमाबन्दी में ख.न. 48 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का अंकन किया जाकर बतौर गैर खातेदारी दर्ज की गई। जमाबन्दी सम्वत 2070—73 के खाता सं0 59 पर खसरा नं0 48 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटी को रेखा, रमण पुत्रियां दीनदयाल नाबा0 संरक्षिका माता ललिता देवी व ललिता देवी पत्नि स्व0 दीनदयाल हि0ब0 कौम ब्राह्मण निवासी निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर खातेदार दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि बंजड–2 है। रिकार्ड पटवारी हल्का दिनांक 22.02.2017 के अनुसार आवंटी मौके पर काबिज नही है और आंवटन शर्तो की पालना नही की गई है। ग्राम पालडी स्थित आंवटित भूमि ख.न. 48 का आवंटन दिनांक 06.06.1989 को निरस्त कर राजकीय भूमि घोषित करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया तथा राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा स्थित भूमि ख़ं.न. 48 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटी रेखा, रमण पुत्रियां दीनदयाल नाबा0 संरक्षिका माता ललिता देवी व ललिता देवी पत्नि स्व0 दीनदयाल हि0ब0 कौम ब्राह्मण निवासी पालडी तहसील लालसोट हाल रामगढ पचवारा जिला दौसा को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था। जो आवंटी के नाम गैर खातेदार दर्ज है किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2017 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नही है इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है अतः उक्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड व मौके की जांच नही की गई है। ग्राम पालडी की खसरा नं. 48 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा की खसरा गिरदावरी संवत 2070–73 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 2070 में ग्वार व सरसों तथा वर्ष 2071, 2072 व 2073 में बाजरा व ग्वार की काश्त किया जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार आवंटी प्रश्नगत आवंटित भूमि पर काबिज है एवं आवंटन शर्तो की पालना की गई है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2070–73 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि ख.न. 48 पर रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा पर संवत 2070 में ग्वार व सरसों तथा वर्ष 2071, 2072 व

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2073 में बाजरा व ग्वार की काश्त किया जाकर कब्जा होना साबित होता है। अतः तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 बहक रेखा, रमण पुत्रियां दीनदयाल नाबा0 संरक्षिका माता ललिता देवी व ललिता देवी पत्नि स्व0 दीनदयाल हि0ब0 कौम ब्राह्मण निवासी पालडी तहसील लालसोट हाल रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरूद्ध तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official